प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **04/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Ramsingh Rajawat Add: 38 Sirasya, Lasadia, Phagi, Sanganer, Jaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329595041629429 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर तहसील बड़गांव के अधीन स्थित समस्त गांवों की बिलानाम/सरकार जमीन वर्ष 2016 से 30 अक्टुबर 2024 तक का आवंटन निजी व्यक्ति, फर्म के नाम जाने जिन संस्था के नाम आवंटन हुआ है उन सब आदेश की समस्त पत्रावली मय नोटशीट, पटवारी की मौका रिपोर्ट, ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण की समस्त सत्यापित प्रतिलिपियां सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7999012745 दिनांक 07.01.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/04/25/09–10 दिनांक 07.01.2025 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू.अ./2025/16 दिनांक 14.01.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन संख्या 329088056427067 द्वारा सूचना चाही गई थी जो आवंटन का क्षेत्राधिकार तहसील कार्यालय में नहीं होकर प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर कार्यालय को भिजवाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् ही आवंटन किया जाता हैं प्रार्थी को भिजवाये गये प्रत्युत्तर की एक प्रति उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु संलग्न है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रथम अपील को निस्तारित करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2016 से 2024 तक तहसील बड़गांव में स्थित समस्त गांवो की बिलानाम जमीन का आवंटन किये जाने संबंधी समस्त पत्रावलीयां मय नोटशीट, पटवारी रिपोर्ट आदि चाहे गये है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में विशिष्टियों का अंकन नहीं किया जाकर अत्यधिक विस्तृत सूचना चाही गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अंतर्गत अपेक्षित है कि मांगी गई सूचना विशिष्ट, स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो जिससे संबंधित लोक सूचना अधिकारी उसे यथासंमय समय में उपलब्ध करवा सके। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना अत्यधिक व्यापक एवं अस्पष्ट होने के कारण सूचना प्रदान करना व्यवहारिक एवं न्यायोचित नहीं है। इतनी लम्बी अवधि की सूचना कार्यालय के समस्त रिकार्ड से स्पष्ट विवरण के बिना मांगा जाना तर्कसंगत एवं उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई विशिष्ट सूचना चाहिए तो वह सूचना के संबंध में विशिष्टियों का अंकन करते हुए संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर